15000 रु. भारतीय गैर न्यायिक 15000 रु.

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

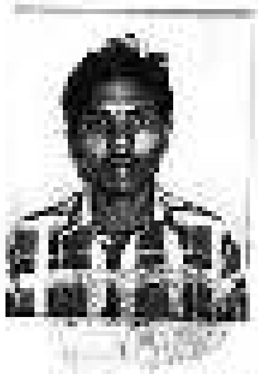

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2.	परगना	:	बिजनौर
3.	ग्राम	:	हसनपुर खेवली
4.	सम्पत्ति का विवरण (सम्पत्ति नं0)	:	भूमि खसरा संख्या–40, 249
5.	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6.	विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	0.240 हेक्टेयर

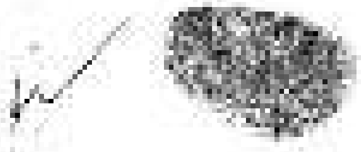

7.	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	नहीं
9.	बोरिंग / कुआँ / अन्य	:	नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	:	रू0 4,61,272 /–
11.	मालियत	:	रू0 3,42,375 /–
12.	स्टाम्प	:	रू0 46,200 /–

चौहद्दी

खसरा नं0 92

पूरब	: खसरा संख्या–88
पश्चिम	: खसरा संख्या–92
उत्तर	: खसरा संख्या–52, 94, 95
दक्षिण	: खसरा संख्या–91, 89

15000रु भारतीय गैर न्यायिक 15000रु

INDIA NON JUDICIAL

पन्द्रह हजार रुपये

RUPEES FIFTEEN THOUSAND

Rs.15000 भारत INDIA Rs.15000

खसरा सं0 249

पूरब	: खसरा संख्या–263
पश्चिम	: खसरा संख्या–247
उत्तर	: खसरा संख्या–263
दक्षिण	: खसरा संख्या–246

प्रथम पक्ष की संख्या–02 द्वितीय पक्ष की संख्या–01

विक्रेतागण का विवरण	:	क्रेता का विवरण
(1) रामस्वरूप व (2) राम गुलाम पुत्रगण मन्नू निवासी –ग्राम हसनपुर खेवली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ. व्यवसाय – कृषि	:	श्रीचन्द्र पुत्र श्री भोला प्रसाद, निवासी–मिर्जापुर, चिटौरी, पोस्ट–नरवलि, जिला–फतेहपुर, उ0प्र0 व्यवसाय – कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

H 263623

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) रामस्वरूप व (2) राम गुलाम पुत्रगण पच्चू निवासी –ग्राम हसनपुर खेमली, परगना–बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् श्रीचन्द पुत्र श्री भोला प्रसाद, निवासी–मिर्जापुर गिठारी, पोस्ट–नगाव, जिला– फतेहपुर, उ०प्र० जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 284370

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या–90 रकबा 0.114 हेक्टेयर व खसरा संख्या–249 रकबा 0.135 हेक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.249 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम– हसनापुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ, की मालिक, काबिज व काश्तकार है तथा उपरोक्त सत्यापित पंचवर्षीय खाता खतौनी क्रम संख्या 307 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम पर अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में की जा चुकी है, पंचवर्षीय खतौनी संख्या–307 खसरा संख्या–90 व 249 फसली वर्ष 1413 से 1418 के अनुसार असंक्रमणीय दर्ज है किन्तु

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 284371

भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष 1384 फसली है, अर्थात विक्रेतागण के पट्टा 10 वर्ष से अधिक पुराना है, इसलिए शासनादेश अनुसार विक्रेतागण को संक्रमणीय अधिकार प्राप्त हो गया है। विक्रेतागण अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विलेख विक्रय द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, काबिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करती है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त

एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रू0 4,61,272/- (रूपया चार लाख इकसठ हजार दो सौ बहत्तर मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करता है, तदानुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बैय किया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त

अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे। और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उनके वारिसान निष्पादनगण इत्यादि के कब्जे व अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादनगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उनके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा ले तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर

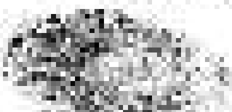

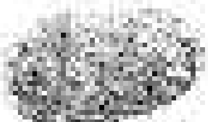

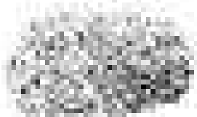

होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगा।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम हसनपुर सेवती अर्धनगरीय क्षेत्र के निश्चित ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सर्किल रेट रू0 13,75,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.249 हेक्टेयर की मालियत रू0 3,42,375/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 46,200/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई पेड़, कुआँ, तालाब व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मीटर के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि शहीद पथ से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य है। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा अब विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

<u>परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

खसरा संख्या–90 रकबा 0.114 हेक्टेयर व खसरा संख्या–249 रकबा 0.125 हेक्टेयर, कुल दो किता व कुल रकबा 0.249 हेक्टेयर, स्थित–ग्राम– हसनपुर खेवली, परगना– बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।

<u>परिशिष्ट : भुगतान विवरण</u>

1. विक्रेता राम स्वरूप ने रु0 2,30,636/– (रुपया दो लाख तीस हजार छः सौ छत्तीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–619475 दिनांकित 17.11.2009 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

2. विक्रेता राम गुलाम ने रु0 2,30,636/– (रुपया दो लाख तीस हजार छः सौ छत्तीस मात्र) द्वारा चेक संख्या–619476 दिनांकित 17.11.2009 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ, क्रेता से प्राप्त किये।

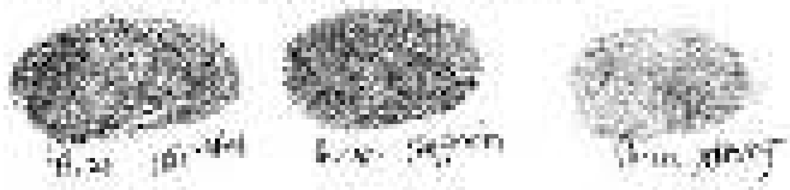

[illegible]

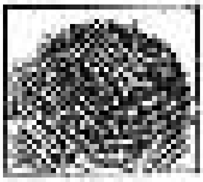

के. के. शुक्ला
उप निबंधक (सदर)
लखनऊ
[illegible]

[illegible]

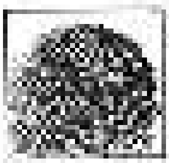

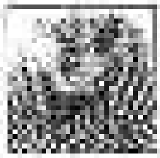

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू० 4,81,272/- (रूपये चार लाख इक्यासी हजार दो सौ बहत्तर मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करता है।

लखनऊ

दिनांक 17.11.2008

गवाह

Sunil Kumar S/o [illegible]
283 [illegible]
[illegible]

विक्रेतागण

टाइपकर्ता
(राम सनेही)
सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसौदाकर्ता
(सैय्यद अन्वार हुसैन)
एडवोकेट

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिन्ट्स

अन्तरणकर्ता / विक्रेता का नाम व पताः [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

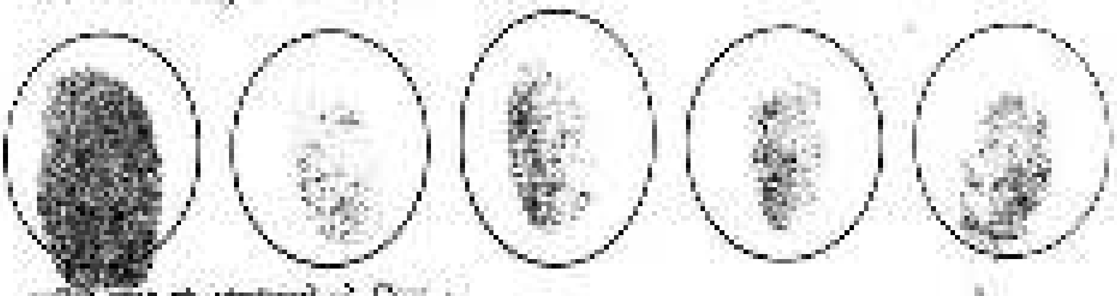

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

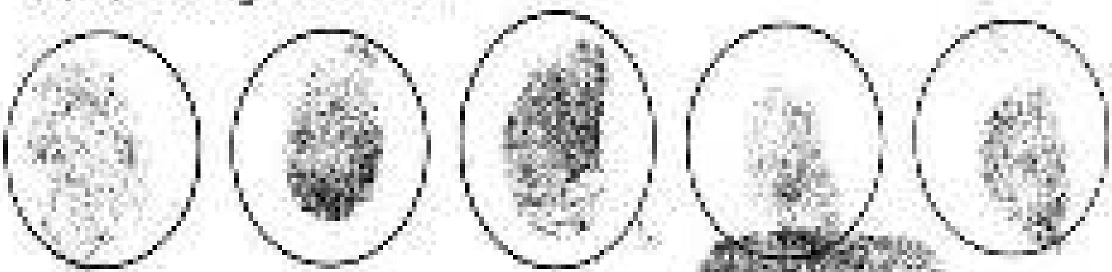

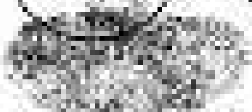

अन्तरणकर्ता/विक्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पताः- [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

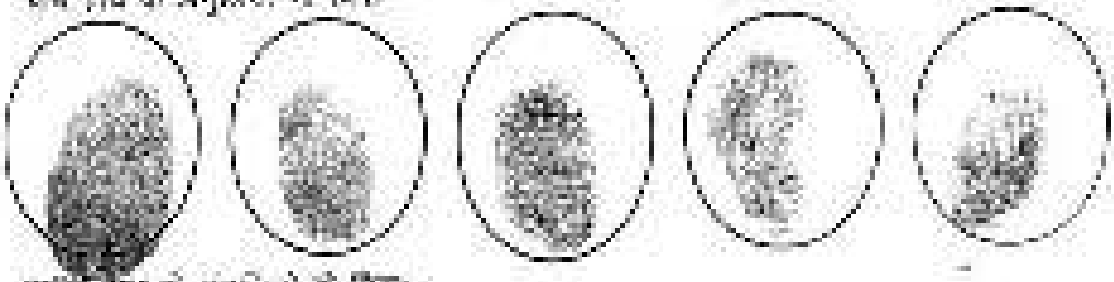

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

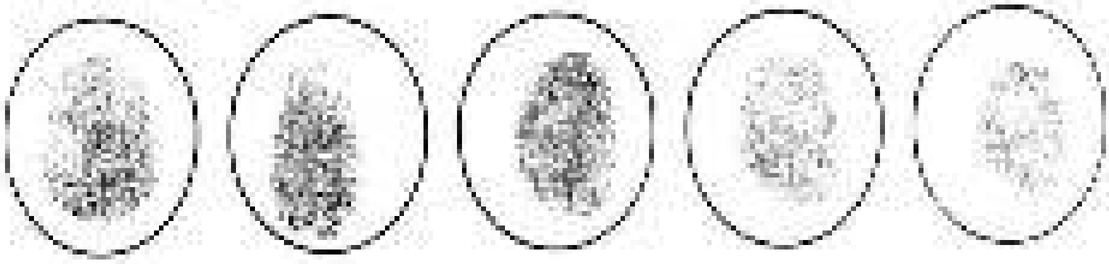

आवेदक / क्रेता के हस्ताक्षर

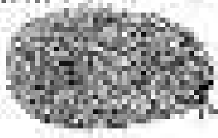

[illegible]

[illegible] [illegible] Year: [illegible] Book No. [illegible]

[illegible]

[illegible]

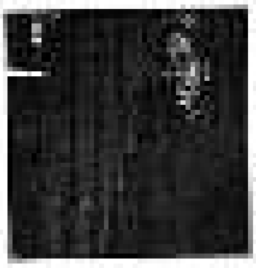

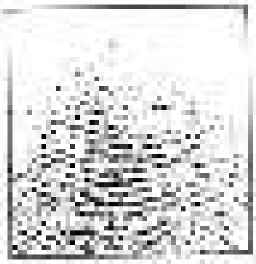

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर प्रिन्ट

पक्षकार / विक्रेता का नाम व पता - ....
....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -

पक्षकार / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता का नाम व पता - ....
....

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह -

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

Year: [illegible]   Book No.: 1

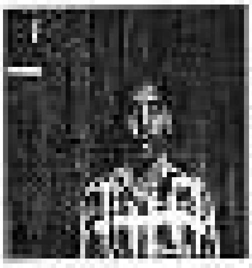

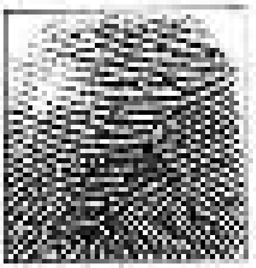

ग्राम [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तहसील व

जिला [illegible]

खसरा नं. [illegible]

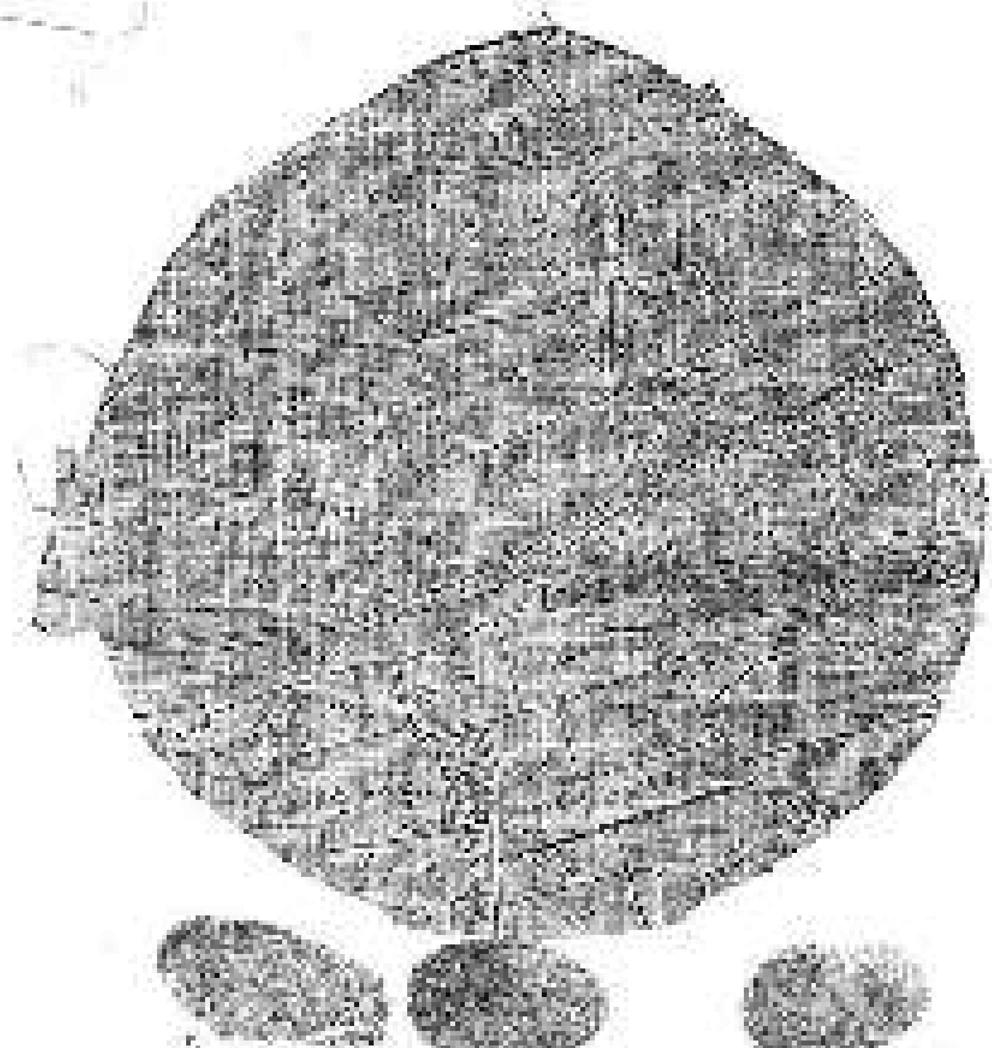

[illegible] [illegible] [illegible]

आज दिनांक 17/11/2006 को

बही सं 1 जिल्द सं 2921

पृष्ठ सं 99 से 126 पर क्रमांक 9659

रजिस्ट्रीकृत किया गया

के.के. शुक्ला

उप निबंधक (प्रथम)

लखनऊ

17/11/2006